



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 471 राँची, बुधवार,

15 अक्टूबर, 2025 (ई०)

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संकल्प

15 अक्टूबर, 2025

विषय - **WP(S) No. 4786/2023 Pancham Mahto &Ors.** बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक-12.12.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी श्री पंचम महतो, श्री नरेश कुमार एवं श्री कुँवर महतो हेतु आदेशपाल के एक अवसरीय **OneTime** छाया पद सृजन की स्वीकृति ।

WP(S) No. 4786/2023 Pancham Mahto &Ors. बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में श्री पंचम महतो श्री नरेश कुमार एवं श्री कुँवर महतो द्वारा आदेशपाल के पद पर वेतन निर्धारण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक-12.12.2023 को पारित न्यायादेश का अनुपालनीय अंश निम्नवत् हैः

“Having heard the learned counsel for the parties and without entering into the merit of the case, this writ petition is being disposed of giving liberty to the petitioners to file fresh representation before the concerned respondent giving therein all the details regarding the claim along with relevant documents, within the period of four weeks’ from the date of receipt of copy of this order.

5. The concerned respondent will look into the matter and take decision in accordance with law within the period of eight weeks’ from the date of receipt of such representation.

6. Needless to say that if the claim of the writ petitioners is found to be genuine, the consequential benefits be paid in favour of the writ petitioners within the further period of eight weeks' from the date of taking such decision.

7. Further, in case of any adverse decision on any ground whatsoever, the same shall be communicated to the writ petitioners forthwith by passing speaking order."

2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्रांक-1262 दिनांक-29.07.2024 द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा उक्त वादियों के वेतन निर्धारण के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। वादियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-461/2024 दायर किया गया। उक्त अवमाननावाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-17.01.2025 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:-

"The question has been raised that such decision ought not to have been taken during the existence of office order dated 14.03.1994 whereby and whereunder the services of the writ petitioners has been regularized in compliance to the order passed by the Hon'ble Apex Court in Writ Petition (C) No. 409 of 1991 and in furtherance of the Contempt Petition Nos.280 and 404 of 1993.

6. The learned counsel appearing for the opposite parties when has been confronted with the question as to whether the office order dated 14.03.1994 has been taken into consideration by the authority, then he after going through the order dated 29.07.2024 which has been placed to be passed in compliance of the order passed by the writ Court has submitted that there is no consideration.

7. This Court, therefore, is of the view that merely by passing an order on the pretext of the direction passed by way of the reasoned order is not the duty of the concerned authority to pass the order mechanically and without taking into consideration the material facts, particularly, in the present case the decision taken by the Registrar in terms of the order dated 29.07.2024 in compliance to the order passed the Hon'ble Apex Court.

8. Therefore, this Court is of the view that the order said to be passed on 29.07.2024 as appended as Annexure-A to the show-cause dated 13.01.2025 cannot to be said to be in compliance of this Court's order. Accordingly, the show-cause dated 13.01.2025 is hereby rejected.

9. The concerned opposite parties is being given two weeks' further time to comply with the order of this Court, failing which the notice will be issued for initiation of a proceeding under the Contempt of Courts Act, 1971 against the concerned opposite parties."

3. उल्लेखनीय है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के ज्ञापांक- VBU/R/15-I6/94 दिनांक-14/16 मार्च, 1994 के द्वारा रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़ में कुल 20 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का नियमितिकरण किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा रिट याचिका (सी0) संख्या-409/1991 दिनांक-25.09.91 के आदेश एवं इससे उद्भूत अवमाननावाद संख्या-280 एवं 404/1993 दिनांक-17.01.1994 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालन के क्रम में उक्त 20 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का नियमितिकरण किया गया है। इस संबंध में बिहार सरकार, उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक-130 दिनांक-04.02.1994 द्वारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को रिट याचिका (सी0) संख्या-409/1991 दिनांक-25.09.91 के आदेश एवं इससे उद्भूत अवमाननावाद संख्या-280/1993 दिनांक-17.01.1994 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालन के संबंध में निदेशित किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते समय यदि यह पाया जाता है कि किसी महाविद्यालय में पद आवश्यकता से अधिक सृजित है तो स्थानान्तरण

अन्य महाविद्यालय में, जहाँ पद सृजित नहीं है या कम पद सृजित हैं से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेजे, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन हो और जिन व्यक्तियों का सामंजन होना है, उनका सामंजन हो सके।

4. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में निदेशालीय पत्रांक-317 दिनांक-18.02.2025 एवं पत्रांक-409 दिनांक-28.02.2025 के द्वारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से कतिपय बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा पत्रांक-846 दिनांक-17.03.2025 द्वारा अवमाननावाद संख्या-461/2024 के अनुपालन हेतु तीनों वादियों का स्वीकृत पद के अभाव में छाया पद स्वीकृत करते हुए वेतन निर्धारण का अनुरोध किया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि " रांची विश्वविद्यालय, रांची के पत्रांक-1152-53 दिनांक-21.03.1990 द्वारा श्री पंचम महतो, श्री कुँवर महतो एवं श्री नरेश महतो की सेवा का अनुमोदन किया गया है और रांची विश्वविद्यालय के पत्रांक-B/1621/93, दिनांक-29.12.1993 द्वारा निर्गत पत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशानुसार 26.04.89 के पूर्व कार्यरत कर्मचारियों की सेवा को विस्तार किया गया है, जिसमें उपर्युक्त तीनों कर्मियों का नाम अंकित है। इस प्रकार उक्त तीनों कर्मियों का उनके योगदान के आधार पर ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग ने पत्रांक-VBU/R/15-16/94, दिनांक-16.03.1994 के द्वारा उनकी सेवा का सामंजन किया गया था।" विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के उक्त पत्र के आलोक में तीनों वादियों द्वारा दिनांक-19.03.1994 को रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़ में योगदान दिया गया।

5. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, (उच्च शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, रांची के पत्रांक-800 दिनांक-15.07.2021 द्वारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अन्तर्गत रामगढ़ महाविद्यालय, रामगढ़ में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के कुल 17 पद सत्यापित है, जिसमें वर्ष 1976 के वेतन पंजी के अनुसार 04 पद एवं पत्रांक-1153 दिनांक-20.08.1993 द्वारा स्वीकृत कुल 13 पद हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्रांक-824 दिनांक-09.08.2011 द्वारा उक्त 17 कर्मियों का पंचम पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। परन्तु विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा पत्रांक-VBU/R/15-16/94, दिनांक-16.03.1994 के माध्यम से कुल 20 कर्मियों का सेवा सामंजन किया गया, जिसके कारण तीनों वादियों का स्वीकृत रिक्त पद के अभाव में वेतन निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया जा सका।

6. उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के क्रम में विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक- VBU/R-56/94 दिनांक-16.04.94 के माध्यम से अपने अधीनस्थ कुल 11 महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षकेतर कर्मियों का पद सृजन हेतु सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करना था, परन्तु विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ मात्र 10 महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर विभाग के ही शिक्षकेतर कर्मियों का पद सृजन हेतु प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया गया एवं रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ के शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन हेतु कोई प्रस्ताव सरकार को प्रेषित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप उक्त तीन वादियों हेतु कोई पद सृजित नहीं किया गया तथा रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका वेतन निर्धारण विभाग के द्वारा नहीं हो सका है।

7. वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु WP(S) No.4786/202 के तीनों वादियों श्री पंचम महतो, श्री नरेश कुमार एवं श्री कुँवर महतो का आदेशपाल के पद पर वेतन निर्धारण

करने हेतु छाया पद सृजन के संबंध में राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। अतः झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित) की धारा-35(a) के आलोक में वादियों श्री पंचम महतो, श्री नरेश कुमार एवं श्री कुँवर महतो के लिए निम्नवत् एक अवसरीय छाया पद सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है:-

क्र० सं०	नाम	महाविद्यालय का नाम	योगदान की तिथि	सृजित पद
1.	श्री पंचम महतो	रामगढ़ महाविद्यालय, रामगढ़	19.03.1994	आदेशपाल
2.	श्री नरेश कुमार	रामगढ़ महाविद्यालय, रामगढ़	19.03.1994	आदेशपाल
3.	श्री कुँवर महतो	रामगढ़ महाविद्यालय, रामगढ़	19.03.1994	आदेशपाल

8. उक्त सृजित पदों पर होने वाले व्यय विकलन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले बजट शीर्ष मांग संख्या-21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102- विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-01. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) से किया जायेगा।

9. यह छाया पद मात्र वादियों के लिए सृजित होगा तथा वादियों की सेवानिवृत्तिमृत्यु पदत्याग की तिथि से यह पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। भविष्य में इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जायेगी।

10. सृजित पदों हेतु समय-समय पर वित्त विभागीय संकल्पों द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे अंतिमरूपेण प्रभावी होगा। उक्त को प्रभावी किये जाने हेतु विभाग द्वारा निर्गत अभिलेखों के अनुरूप वेतनमान/ग्रेड पे देय होगा।

11. उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति के ज्ञाप संख्या-1413 दिनांक-18.06.2025 के क्रमांक-3 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

12. उपरोक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-02.09.2025 में मद संख्या-50 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राहुल कुमार पुरवार
सरकार के प्रधान सचिव।
